संख्या-152/2019/2725/22-2-2017-17(680)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 21 नवम्बर, 2019***

विषय:- जिला कारागार, झांसी में निरूद्ध सीमित सजा अवधि से दण्डित सिद्धदोष महिला बन्दी मक्खन देवी पत्नी श्री धनसिंह, निवासी जनपद-झांसी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-35977/प्रोबेशन-7/सीमित सजा/ (एम-06.09.2016) दिनांक-04.10.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, झांसी में निरूद्ध सीमित सजा अवधि से दण्डित सिद्धदोष महिला बन्दी मक्खन देवी पत्नी श्री धनसिंह, जो मौहल्ला मातवाना, थाना-बरूआसागर, जनपद-झांसी की रहने वाली है। दहेज में मोटर साईकिल की मांग पूरी न होने के कारण महिला बंदी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 23.11.2003 की रात्रि में अपनी पुत्र वधु गीता की गला दबाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-85/04 भा0द0सं0 की धारा-304बी, 498ए, 4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झांसी के आदेश दिनांक 23.03.2005 द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 19.03.2012 द्वारा यथावत रखा गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने महिला बंदी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की है। सिद्धदोष महिला बंदी मक्खन देवी पत्नी श्री धनसिंह की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रोवेशन बोर्ड का अभिमत है कि दहेज में मोटर साईकिल की मांग पूरी न होने के करण महिला बंदी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 23.11.2003 की रात्रि में अपनी पुत्र वधु गीता की गला दबाकर हत्या कर दी। महिला बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष महिला बन्दी मक्खन देवी पत्नी श्री धनसिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि महिला बन्दी मक्खन देवी (बन्दी संख्या-276/12) पत्नी श्री धनसिंह, निवासी जनपद-झांसी के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त महिला बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-152/2019/2725(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद- झांसी।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, झांसी।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-152/2019/2725/22-2-2017-17(680)/2017

दिनांक 21 नवम्बर, 2019 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, झांसी में निरूद्ध सीमित सजा अवधि से दण्डित सिद्धदोष महिला बन्दी मक्खन देवी पत्नी श्री धनसिंह, जो मौहल्ला मातवाना, थाना-बरूआसागर, जनपद-झांसी की रहने वाली है। दहेज में मोटर साईकिल की मांग पूरी न होने के कारण महिला बंदी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 23.11.2003 की रात्रि में अपनी पुत्रवधु गीता की गला दबाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-85/04 भा0द0सं0 की धारा-304बी, 498ए, 4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झांसी के आदेश दिनांक 23.03.2005 द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 19.03.2012 द्वारा यथावत रखा गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने महिला बंदी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की है। सिद्धदोष महिला बंदी मक्खन देवी पत्नी श्री धनसिंह की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रोवेशन बोर्ड का अभिमत है कि दहेज में मोटर साईकिल की मांग पूरी न होने के करण महिला बंदी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 23.11.2003 की रात्रि में अपनी पुत्रवधु गीता की गला दबाकर हत्या कर दी। महिला बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष महिला बन्दी मक्खन देवी पत्नी श्री धनसिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।